जिला कलेक्टर,टोंक

# न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित )

प्रकरण संख्या 04 / 2020

प्रविष्टि दिनांक 19.03.2020

जरिये सूरजभान सिंह प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक

—— प्रार्थी

**बनाम**

1—मै.राजेश कुमार शर्मा पुत्र ब्रजकिशोर निवासी वार्ड न.11 चारभुजा मन्दिर के पीछे उनियारा शहर जिला टोंक

2—श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र ब्रजकिशोर निवासी वार्ड न.11 चारभुजा मन्दिर के पीछे उनियारा शहर जिला टोंक

—अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 मे जप्त शुदा 39.50 क्वि0 गेहूॅ का अन्तरिम निरस्ताण करने व राजसात करने बाबत**

उपस्थितिः—

1— प्रर्वतन निरीक्षक पेरोकार सरकार —प्रार्थी की ओर से

2. अप्रार्थीगण स्वंय — अप्रार्थी

## निर्णय

**दिनांक : 22.09.2022**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी टोंक द्वारा गठित जॉच दल के साथ दिनांक 03.03.2020 को जिला रसद अधिकारी के नेतृत्व में श्री राजेश कुमार शर्मा उचित मूल्य दुकानदार उनियारा शहर वार्ड संख्या 13,14 व 15 द्वारा राशन के गेहूॅ की अवैध भण्डारण की शिकायत की जॉच हेतु मौके पर समय 11.50 AM पर पहुचें। मौके पर अनाधिकृत गेहूँ का भण्डारण स्थल गढ़ रोड,उनियारा पर मौके पर दुकानदार का कार्यकर्ता श्री रामहेत राशन सामग्री का वितरण करता हुआ मिला, श्री रामहेत से अस्थाई दुकान के [illegible] या पत्र मांगने पर प्रस्तुत नहीं किया और बताया कि मेरी जानकारी में [illegible] निरीक्षण श्री राकेश शर्मा ने बताया कि उसके पास दिनांक [illegible] 110 कट्टे 50 किलोग्राम प्रति कट्टा के हिसाब से 5[illegible] किलोग्राम गेहूँ [illegible] 2020 के [illegible] माह मार्च 2020 का शेष 270 किलोग्राम [illegible] हुआ है इस प्रकार [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:51:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

5500 किलोग्राम गेहूँ की आपूर्ति राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. टोंक द्वारा की गई थी,जिसे उसके द्वारा अधिकृत दुकान पर खाली नहीं करवाकर अनाधिकृत दुकान गढ़ रोड,उनियारा श्री देवेन्द्र सिंह की दुकान में खाली कराया गया था जिसमें से दिनांक 02 व 03 मार्च 2020 वक्त निरीक्षण तक 15.50 क्वि. वितरण किये जाने के पश्चात् 39.50 क्वि.(79 कट्टे 50 किलोग्राम प्रति कट्टा) उक्त अनाधिकृत दुकान में उपलब्ध मिला। इस संबंध मे दुकानदार ने कोई सतोंषजनक जवाब नही दिया। गेहूँ का अवैध भण्डारण करने के कारण उक्त गेहूँ को जप्त सरकार किया गया। अतः जप्त शुदा 39.50 क्वि0 गेहूँ का अन्तरिम निरस्तारण एंव राजसात करने हेतु यह प्रार्थना प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गयी। प्रकरण मे पेरोकार सरकार एंव अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दोरान बहस कथन किया कि गठित जॉच दल के साथ दिनांक 03.03.2020 को जिला रसद अधिकारी के नेतृत्व में श्री राजेश कुमार शर्मा उचित मूल्य दुकानदार उनियारा शहर वार्ड संख्या 13,14 व 15 द्वारा राशन के गेहूँ की अवैध भण्डारण की शिकायत की जॉच करने पर अनाधिकृत गेहूँ का भण्डारण स्थल गढ़ रोड उनियारा पर मौके पर दुकानदार का कार्यकर्ता श्री रामहेत राशन सामग्री का वितरण करता हुआ मिला,श्री रामहेत द्वारा अस्थाई दुकान के भण्डारण का स्वीकृति आदेश या पत्र मांगने पर प्रस्तुत नहीं किया गया।उचित मूल्य दुकानदार श्री राजेश कुमार शर्मा से मोबाईल पर सम्पर्क कर आवश्यक रिकॉर्ड व दस्तावेज लेकर मौके पर उपस्थित होने को कहाँ गया,इसके पश्चात् डीलर के भाई राकेश शर्मा अपने साथ प्राधिकार पत्र पत्रावली साथ लेकर आया और उसने बताया कि राजेश शर्मा अभी टोंक गये हुए है तथा उन्होने बताया कि राशन दुकान संबंधित कार्य मेरे द्वारा ही किया जाता है। वक्त निरीक्षण श्री राकेश शर्मा ने बताया कि उसके पास दिनांक 29.02.2020 की रात्रि को 110 कट्टे 50 किलोग्राम प्रति कट्टा के हिसाब से 5230 किलोग्राम गेहूँ माह अप्रेल 2020 के पेटे व माह मार्च 2020 का शेष 270 किलोग्राम बीपीएल का गेहूँ प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कुल 5500 किलोग्राम गेहूँ की आपूर्ति राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि0 टोंक द्वारा की गई थी। उक्त गेहूँ को उसके द्वारा अधिकृत दुकान पर खाली नहीं करवाकर अनाधिकृत दुकान् गढ़ रोड,उनियारा श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र शिवसिंह उनियारा की दुकान में खाली करवाया गया है। दिनांक 02 व 03 मार्च 2020 वक्त निरीक्षण तक 15.50 क्वि. वितरण किये जाने के पश्चात् 39:50 क्वि. (79 कट्टे 50 किलोग्राम प्रति कट्टा) उक्त अनाधिकृत दुकान में उपलब्ध मिला है।श्री राकेश शर्मा से उक्त भण्डारण स्थल बाबत् सक्षम अधिकारी की स्वीकृति/ आदेश मांगा गया जो मौके पर पेश नहीं किया एंव बताया कि इस भण्डारण स्थल का उनके पास कोई स्वीकृति नहीं है तथा उसके द्वारा किसी अधिकारी को सूचना भी प्रस्तुत नहीं की गई है। इस प्रकार उक्त डीलर द्वारा व उसके [illegible] के गेहूँ का अवैध भण्डारण का मामला पाया जाने पर दुकान में उपलब्ध [illegible] टोंक 39.50 क्वि. को जब्त किया गया। इस प्रकार उक्त डीलर श्री राजेश शर्मा [illegible] 39.50 क्वि. गेहूँ का अवैध भण्डारण करने के कारण उक्त गे[illegible] सुरक्षा व साक्ष्य की

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:51:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
टोंक

दृष्टि से श्री योगेश कुमार शर्मा उचित मूल्य दुकानदार उनियारा शहर की सुपुर्दगी में दिया गया। इस संबंध मे दुकानदार ने कोई सतोंष जनक जवाब नही दिया। अतः जप्त शुद्वा 39.50 क्वि0 गेहूँ को राजसात किया जावे ।

अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश न कर प्रकरण का उचित निस्तारण किये जाने का अनुरोध किया।

हमने पेरोकार सरकार की बहस एंव अप्रार्थीगण के कथन पर मनन किया व पत्रावली का अध्ययन किया। जिला रसद अधिकारी टोंक के आदेश क्रमांक रसद/अभियोग / 2020/222 दिनांक 03.03.2020 द्वारा गठित जॉच दल के साथ दिनांक 03.03.2020 को जिला रसद अधिकारी के नेतृत्व में श्री राजेश कुमार शर्मा उचित मूल्य दुकानदार वार्ड संख्या 13,14 व 15 उनियारा की राशन के गेहूँ की अवैध भण्डारण की शिकायत की जॉच प्राप्त होने पर जांच की गई। जांच मे मौके पर अनाधिकृत गेहूँ का भण्डारण स्थल गढ़ रोड,उनियारा पर मौके पर दुकानदार का कार्यकर्ता श्री रामहेत राशन सामग्री का वितरण करता हुआ मिला। श्री रामहेत से अस्थाई दुकान के भण्डारण की स्वीकृति आदेश या पत्र मांगने पर प्रस्तुत नहीं किया और मौके से ही उचित मूल्य दुकानदार श्री राजेश कुमार शर्मा से मोबाईल पर सम्पर्क किया और आवश्यक रिकॉर्ड व दस्तावेज लेकर मौके पर उपस्थित होने बाबत निर्देश देने पर डीलर के भाई राकेश शर्मा अपने साथ प्राधिकार पत्र पत्रावली साथ लेकर आया और डीलर राजेश शर्मा को टोंक जाना बताया और साथ ही राशन दुकान संबंधित कार्य उसके द्वारा (राकेश शर्मा) ही किया जाना बताया। वक्त निरीक्षण श्री राकेश शर्मा ने बताया कि उसके पास दिनांक 29.02.2020 की रात्रि को 110 कट्टे 50 किलोग्राम प्रति कट्टा के हिसाब से 5230 किलोग्राम गेहूँ माह अप्रेल 2020 के पेटे व माह मार्च 2020 का शेष 270 किलोग्राम बीपीएल का गेहूँ प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कुल 5500 किलोग्राम गेहूँ की आपूर्ति राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि.टोंक द्वारा की गई थी,उक्त गेहूँ को अधिकृत दुकान पर खाली नहीं करवाकर अनाधिकृत दुकान गढ़ रोड उनियारा श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र शिवसिंह उनियारा की दुकान में खाली कराया गया था,जिसमें से दिनांक 02 व 03 मार्च 2020 वक्त निरीक्षण तक 15.50 क्वि. वितरण किये जाने के पश्चात् 39:50 क्वि. ( 79 कट्टे 50 किलोग्राम प्रति कट्टा ) उक्त अनाधिकृत दुकान में उपलब्ध मिला। मौके पर दुकान में (अनाधिकृत) उपलब्ध गेहूँ का भौतिक सत्यापन किया गया जिसमें FCI मार्का के सील्ड 79 कट्टे प्रति कट्टा 50 किलोग्राम के हिसाब से 39.50 क्वि. गेहूँ उपलब्ध पाया गया। श्री राकेश शर्मा से उक्त भण्डारण स्थल बाबत् सक्षम अधिकारी की स्वीकृति/ आदेश मांगा गया जो मौके पर पेश नहीं किया व बताया कि इस भण्डारण स्थल का उनके पास कोई स्वीकृति नहीं है तथा उसके द्वारा किसी अधिकारी को सूचना भी प्रस्तुत नहीं की गई है।उक्त भण्डारण स्थल के बाबत् किसी सक्षम अधिकारी से स्वीकृति आदेश नहीं था। इस प्रकार उक्त डीलर द्वारा व उसके कार्यकर्ता द्वारा राशन के गेहूँ का अवैध भण्डारण का मामला पाया जाने पर दुकान में उपलब्ध गेहूँ के स्टॉक 39.50 क्वि. जब्त कर सुपुर्दगी में सुरक्षा व साक्ष्य की दृष्टि से एफपीएस डीलर श्री योगेश शर्मा को दिया गया। डीलर ने राजस्थान खाधान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:51:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

जारी प्राधिकार कि शर्तो का उल्लघंन किया है।अतः जप्त शुदा 39.50 क्वि0 गेहूँ नियमानुसार राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जप्तशुद्वा 39.50 क्वि0 गेहूँ राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोक को निर्देशित किया जाता है कि राजसात किये गये गेहूँ का निस्तारण कर प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष मे जमा करावे।

निर्णय आज दिनांक 22.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:51:36 IST
Reason: SelfAttested